प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2023**...............
2. प्र.इ.रि.सं....254................./**2023**............ दिनांक ......20.9.2023............
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा – **7**..
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....
   (III) * अधिनियम...............................–........................ धाराएं.....................–........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....410....................समय..........7.10 PM.............
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– शनिवार **दिनांक 19.09.2023 वक्त 11:45 ए.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ......13.09.2023 वक्त 12:10 पी.एम..... ......
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पश्चिम करीब 104 किमी
   (ब) पता – पुलिस थाना बज्जू के पास तहसील कॉलोनी बज्जू बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–...............................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री मनीराम**
   (ब) पिता/पति का नाम – **श्री कुशलाराम**
   (स) जन्म तिथि/आयु – **50** वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – खेती–बाड़ी
   (ल) पता – **निवासी गांव माणकासर, पुलिस थाना बज्जू जिला बीकानेर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. **श्री बनवारीलाल पुत्र श्री अर्जुनराम, उम्र 30 वर्ष, जाति बिश्नोई, निवासी गांव मोटाई, तहसील बाप, जिला फलौदी, पुलिस थाना चाखू हाल कानिस्टेबल नंबर 1791, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 13.09.2023 को वक्त 12:10 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीराम पुत्र श्री कुशलाराम, जाति बिश्नोई, उम्र–50 वर्ष, पेशा खेती–बाड़ी, निवासी– गांव माणकासर, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर ने ब्यूरो कार्यालय बीकानेर मे लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि "सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। विषयः– बनवारी कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं मनीराम पुत्र श्री कुशलाराम, जाति बिश्नोई, पेशा खेती–बाड़ी, निवासी– गांव माणकासर, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर का रहने वाला हूं। मैं खेती–बाड़ी का काम करता हूं तथा मेरा कुल 40 बीघा का खेत चक 3 डी ओ बी बी, 10 आर डी, बरसलपुर पर स्थित है। मैं खेत में ही परिवार सहित निवास करता हूं। मैंने मेरा उक्त खेत बीजने के बाद हिस्से से मैंने श्री मांगीलाल, जाति जाट, निवासी लूणां, फलौदी के रहने वाले काश्तकार को दे रखा है। करीब ढ़ाई तीन माह पहले मेरे काश्तकार श्री मांगीलाल ने उक्त खेत में से 10 बीघा खेत आगे किसी अन्य काश्तकार श्री लालूराम सांसी, निवासी– आर डी 860 को दे दिया था। खेत में मूंगफली को पानी पिलाने की बात को लेकर मेरे व श्री लालूराम सांसी के मध्य करीब

महीने भर पहले आपस में कहासुनी हो गई थी। जिस पर श्री लालूराम सांसी ने पुलिस थाना बज्जू पर जाकर मेरे खिलाफ एससी–एसटी कानून के तहत एक झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। जिस पर पुलिस थाना बज्जू के कांस्टेबल श्री बनवारी ने दिनांक 08.09.2023 को अपने मोबाइल नंबर 85618–21404 से फोन करके श्री लालूराम सांसी द्वारा मेरे खिलाफ दी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए जांच हेतु मुझे थाने पर बुलाया। मैंने उनको बताया मेरी बहन का देहांत हो गया है तथा मैं उनके अंतिम संस्कार में व्यस्त हूं। इसके बाद आवश्यक कार्य संपन्न करने के बाद मैं पुलिस थाना बज्जू पर उपस्थित हो जाउंगा। इसके बाद मेरे व श्री लालूराम सांसी के मध्य गांव के मौजिज लोगों ने आपस में राजीनामा करवा दिया था। अब पुलिस थाना बज्जू का कांस्टेबल श्री बनवारी मुझे बार–बार थाने पर बुला रहा है तथा उक्त शिकायत के संबंध में फाईल तैयार करने, शिकायत को ऑनलाईन करने व शिकायत को बंद करने की एवज में खर्चापानी के 20,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। श्री बनवारी कांस्टेबल ने अपने मोबाइल नंबर 85618–21404 से मेरे मोबाइल नंबर 99506–37393 पर फोन कर उक्त रिश्वत की मांग भी की है। उक्त कॉल की मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर ली है। अब श्री बनवारी कांस्टेबल मेरे को बार–बार कॉल कर पुलिस थाने पर रिश्वत राशि लेकर थाने पर बुला रहा है। मैं उक्त रिश्वतखोर कांस्टेबल बनवारी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। अतः निवेदन है कि मेरे प्रार्थना–पत्र पर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांकः– 13.09.2023, प्रार्थी श्री मनीराम पुत्र श्री कुशलाराम, जाति बिश्नोई, निवासी– गांव माणकासर, जिला बीकानेर, मोबाइल नं.– 99506–37393"

परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं केवल साक्षर हूं, मेरे हस्ताक्षर करना ही जानता हूं तथा पढ़ना–लिखना नहीं जानता हूं। मेरे द्वारा आपके समक्ष पेश की गई उक्त आशय की टाईपसुदा रिपोर्ट मैं बीकानेर शहर में स्थित किसी टाईप वाले की दुकान से टाईप करवाकर लेकर आया हूं तथा आपके समक्ष पेश की है। चूंकि परिवादी अनपढ़ है तथा लिखना–पढ़ना नहीं जानता है तथा रिपोर्ट टाईप करवा कर कार्यालय पर लेकर आया है, इस कारण मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री भगवान दास, कानिस्टेबल नंबर 134 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया। श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 को परिवादी श्री मनीराम द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश की गई टाईपसुदा रिपोर्ट परिवादी श्री मनीराम को पुनः पढ़कर सुनाने हेतु आदेशित किया गया। जिस पर श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 द्वारा उक्त टाईपसुदा रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक की मौजूदगी में परिवादी श्री मनीराम को हुबहू पुनः पढ़कर सुनाई गई। उक्त टाईपसुदा रिपोर्ट का समस्त मजमून भली–भांति सुनने के पश्चात् परिवादी श्री मनीराम ने स्वयं द्वारा पेश की गई उक्त टाईपसुदा रिपोर्ट के तथ्य बिल्कुल सही व सत्य होना स्वीकार किया तथा स्वयं द्वारा ही किसी टाईप वाले की दुकान से टाईप करवाकर लाना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री मनीराम ने बताया कि मेरा बनवारी कानिस्टेबल से कोई पुराना उधारी का लेन–देन नहीं है तथा न ही मेरी कोई पुरानी रंजिश उनसे है। टाईपसुदा रिपोर्ट परिवादी एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाता है। अतः आईन्दा रिश्वत मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही कर विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अब तक के पूर्ण हालात श्रीमान् महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रभारी अधिकारी, चौकी बीकानेर को जरिये मोबाइल निवेदन किये गये तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् वक्त 12:50 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीराम को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग संबंधी गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत् कहने पर परिवादी श्री मनीराम ने बताया कि श्री बनवारी कानिस्टेबल, पुलिस थाना बज्जू से मैं मेरे काम के संबंध में आज ही पुलिस थाना बज्जू के पास जाकर उससे रूबरू मिलकर बात करूंगा तथा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी श्री मनीराम को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही के संबंध में विस्तार से अवगत करवाया गया। वक्त 01.14 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री भगवानदास, कानिस्टेबल बेल्ट नंबर 134

से ब्यूरो कार्यालय से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी श्री मनीराम को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। इसके बाद ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री मनीराम का श्री भगवानदास कानि. नंबर 134 से आपसी परिचय करवाया गया तथा कानिस्टेबल श्री भगवानदास नंबर 134 को परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से भली–भांति अवगत करवाया गया, एक दूसरे के मोबाइल नंबर दिलवाये गये तथा कानिस्टेबल को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 को परिवादी श्री मनीराम के साथ जाकर सुविधाजनक तरीके से पुलिस थाना बज्जू के पास पहुंच कर संदिग्ध कर्मचारी से संपर्क करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड परिवादी श्री मनीराम को बोलकर सुपुर्द कर संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी कार्यवाही करवाने की हिदायत दी गई तथा परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संपन्न होने के बाद डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी श्री मनीराम से वापस प्राप्त कर कार्यालय हाजा पर लेकर आने की हिदायत दी गई। वक्त 01.25 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीराम तथा श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने संबंधी आवश्यक हिदायत देकर संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना बज्जू के लिए कार्यालय हाजा से रवाना किया गया। वक्त 05.14 पी.एम. पर श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 ने अपने मोबाइल नंबर 86196–78388 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि मैंने परिवादी श्री मनीराम को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु भेजा था, जो अभी वापस आया है, इससे मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मेरे पास सुरक्षित रखा है। श्री भगवान दास कानिस्टेबल ने बताया कि परिवादी श्री मनीराम से संदिग्ध कर्मचारी श्री बनवारी कानिस्टेबल द्वारा 15,000/– रिश्वत की मांग की गई है। जिस पर कानिस्टेबल के मोबाइल पर ही मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीराम से वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि श्री बनवारी कानिस्टेबल से पुलिस थाना बज्जू में जाकर मैंने मेरे काम के सिलसिले में बात की तो उसने लालूराम सांसी द्वारा पुलिस थाना बज्जू में मेरे विरूद्ध दी गई शिकायत के संबंध में मेरी मदद करने के नाम पर मुझे 20,000/– रुपये रिश्वत देने का कहा, तब मैंने उससे कुछ कम करने का निवेदन किया तो फिर उसने 5,000/– रुपये कम करते हुए मेरे से 15,000/– रुपये रिश्वत की स्पष्ट मांग की है, जो मैंने उसे परसों सुबह व्यवस्था करके देने के बारे में बोला तो उसने लेने के लिए सहमति दी है। अब श्री बनवारी कानिस्टेबल मेरे से 15,000/– रुपये रिश्वत राशि लेगा। परिवादी ने बताया कि अब मुझे दवाई वगैरह लेनी है, इसलिए मैं घर जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री मनीराम को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु कल दिनांक 14.09.2023 को वक्त 10.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई तथा साथ ही ट्रेप कार्यवाही हेतु उक्त रिश्वत राशि की व्यवस्था करके साथ लेकर आने का बताया व कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की भी हिदायत दी गई। वक्त 07.25 पी.एम. पर श्री भगवान दास कानिस्टेबल नंबर 134 उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई तथा परिवादी श्री मनीराम द्वारा पूर्व में जरिये मोबाइल बताई गई बातों की पुष्टि होना पाई गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। आईंदा परिवादी के आने पर ट्रांस्क्रिप्ट मुर्तिब कर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में पूर्ण हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को निवेदन किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 14.09.2023 को वक्त 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीराम मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में उपस्थित हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछने पर परिवादी श्री मनीराम ने बताया कि कल दिनांक 13.09.2023 को मैं व श्री भगवान दास कानिस्टेबल एसीबी चौकी बीकानेर से रवाना होकर प्राईवेट बस में बैठकर बज्जू के लिए रवाना हुए थे। बज्जू में नये बस अड्डे पर बस से उतरकर दूध डेयरी के अंदर गोपनीय स्थान पर जाकर श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने वक्त 04.:51 पी.एम. पर मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालूकर बोलकर सुपुर्द किया, जिसे मैंने प्राप्त किया था। इसके बाद मैं वहां से करीब 200 मीटर दूरी पर स्थित पुलिस थाना बज्जू में श्री बनवारी कानिस्टेबल से वार्ता करने के लिए रवाना हुआ था। फिर जैसे ही मैं पुलिस थाना बज्जू के गेट पर पहुंचा तो श्री बनवारी कानिस्टेबल के मोबाइल नंबर 85618-21404 से मेरे मोबाइल पर कॉल आ रहा था। मैंने मेरी जेब से कॉल उठाने के लिए मोबाइल निकाला तो इतने में आरोपी श्री बनवारी पुलिस थाने के गेट पर ही मुझे मिल गया तथा मुझे बोला कि फोन मैंने ही किया है। इसके बाद मेरी बनवारी कानिस्टेबल से मेरे काम के संबंध में बातचीत हुई। श्री बनवारी कानिस्टेबल ने मुझे बताया कि मेरे विरूद्ध लज्जा भंग व एससी-एसटी कानून के तहत रिपोर्ट आई हुई है। फिर उसने लालूराम सांसी द्वारा पुलिस थाना बज्जू में मेरे विरूद्ध दी गई शिकायत के संबंध में तैयार की जाने वाली फाईल के खर्चे के नाम पर, शिकायत को ऑनलाईन करने व शिकायत को बंद करने की एवज में मुझे 20,000/- रुपये रिश्वत देने का कहा, तब मैंने उससे कुछ कम करने का निवेदन किया तो फिर उसने घर का आदमी होने के नाते 5,000/- रुपये कम करते हुए मेरे से 15,000/- रुपये रिश्वत की स्पष्ट मांग की, जो मैंने उसे परसों सुबह व्यवस्था करके देने के बारे में बोला तो उसने लेने के लिए सहमति दी तथा साथ ही मुझे यह भी बताया कि परसों मैं बाहर जा सकता हूं, पर मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। अब श्री बनवारी कानिस्टेबल मेरे से 15,000/- रुपये रिश्वत राशि लेगा। इसके बाद मैं पुलिस थाना बज्जू से रवाना होकर श्री भगवान दास कानिस्टेबल से वापस उसी स्थान पर आकर मिला, जहां उन्होने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझे दिया था। फिर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मैंने उनको सुपुर्द किया, जो उन्होंने बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। इसके बाद उपरोक्त बातें मैंने श्री भगवान दास को बताई। फिर श्री भगवानदास कानिस्टेबल ने मेरी आपसे मोबाइल पर बात करवाई थी। इसके बाद मुझे दवाई लेनी थी, इस कारण मैं मेरे खेत पर चला गया था। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीराम को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। कार्यालय हाजा पर पदस्थापित कानिस्टेबल श्री हरीराम को ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्रीमान् निदेशक, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय के नाम तहरीर देकर रवाना किया गया। वक्त 01.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री मनीराम को लेकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के कक्ष में उपस्थित हुआ तथा अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण हालात निवेदन किये गये तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। वक्त 02.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री मनीराम की मौजूदगी में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला जाकर श्री भगवानदास कानिस्टेबल की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर दिनांक 13.09.2023 को परिवादी श्री मनीराम द्वारा आरोपी व्यक्ति श्री बनवारी कानिस्टेबल से की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी रिकॉर्ड की गई ऑडियो फाईल की HASH VALUE चैक करने पर निम्नलिखित HASH VALUE होना पाई गईः-

S No.	File Name	Date & Time of Creation	HASH VALUE (SHA 1)
1	230913_1651	13-09-23 16:51	955452d2bc2a52471ec7afd68617b22e302ce8ce

उक्त ऑडियो फाईल मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर में भी कॉपी की जाकर सुरक्षित रखी गई। वक्त 03.50 पी.एम. पर श्री हरीराम कानिस्टेबल मय अपने साथ दो

कर्मचारियों को गोपनीय राजकार्य हेतु हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरीराम कानिस्टेबल के साथ आये हुए कर्मचारियों से उनका पूर्ण नाम पता पूछा तो दोनों ने अपना–अपना नाम क्रमशः श्री सुनील कुमार सिडाना पुत्र स्व. श्री दीवानचंद सिडाना, जाति अरोड़ा, उम्र 51 साल, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी– वार्ड नंबर 9, कच्ची थेड़ी, श्रीकरनपुर, पुलिस थाना श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर, हाल सी–289, करणीनगर, करणी माता मंदिर के पास, लालगढ़, पुलिस थाना बीछवाल, बीकानेर, हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, मोबाइल नंबर– 79760–29123 तथा श्री रमेश कुमार जोईया पुत्र स्व. श्री नत्थुराम, जाति मेघवाल, उम्र 45 साल, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी भुट्टों का बास, फतीपुरा, वार्ड नंबर–51, पुलिस थाना सदर, जिला बीकानेर, हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, मोबाइल नंबर– 80055–32807 होना बताया। जिस पर उक्त दोनों कर्मचारियों को कार्यालय हाजा पर बुलाये जाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दिनांक 15.09.2023 को वक्त 09.30 ए. एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। वक्त 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मनीराम की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड से श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 की सहायता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी ऑडियो फाईल की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। वक्त 06.30 पी.एम. तक मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी ऑडियो फाईल की विस्तृत फर्द ट्रांस्क्रिप्ट उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुन–सुन कर परिवादी श्री मनीराम से पूछ–पूछ कर संबंधित आवाजों की पहचान करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री भगवान दास कानिस्टेबल की सहायता से तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में हिंदी रूपांतरण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त सत्यापन वार्ता की क्लिप को कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव को पेन ड्राईव के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट् किया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मूल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर कार्ड के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया। उक्त कार्यवाही से संबंधित पृथक से मुर्तिब की गई फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शामिल कार्यवाही कागजात की गई। वक्त 06. 35 पी.एम. पर अब तक के तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री बनवारी कानिस्टेबल, पुलिस थाना बज्जू द्वारा परिवादी श्री मनीराम से उसके विरूद्ध पुलिस थाना बज्जू में श्री लालूराम सांसी द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में फाईल तैयार करने, शिकायत को ऑनलाईन करने व शिकायत को बंद करने की एवज में परिवादी से 15,000/– रुपये रिश्वत की स्पष्ट मांग करना पाया गया। आईदा आरोपी श्री बनवारी कानिस्टेबल के विरूद्ध नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही अमल में लाई जाने के संबंध में परिवादी से विचार–विमर्श किया गया तथा परिवादी से आरोपी श्री बनवारी को देने के लिए 15,000/– रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के बारे में कहा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी बनवारी ने मुझे कल सत्यापन के वक्त बताया था कि मैं बाहर जाने वाला हूं। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि आरोपी बनवारी कानिस्टेबल कल बज्जू से बाहर रह सकता है, मैं कल आरोपी बनवारी की उपस्थिति के बारे में पता करके बता दूंगा। अब मेरी गांव की बस निकलने वाली है, इस कारण अब मुझे गांव जाना है, कल मैं आरोपी बनवारी कानिस्टेबल को रिश्वत में दी जाने वाली 15,000/– रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी श्री मनीराम को कल सुबह 09.00 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

दिनांक 15.09.2023 को वक्त 08:50 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से परिवादी श्री मनीराम को उसके मोबाइल नंबर 99506–37393 पर कॉल

कर कार्यालय आने के बारे में पूछा तो परिवादी श्री मनीराम ने बताया कि मैं अभी रास्ते में ही हूं तथा घंटे भर में आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाऊंगा। वक्त 10:35 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दोनों सरकारी कर्मचारी श्री सुनील कुमार सिडाना, प्रशासनिक अधिकारी तथा श्री रमेश कुमार जोईया, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हें कार्यालय हाजा के कक्ष में बिठाया गया। वक्त 11:55 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीराम कार्यालय हाजा में मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ। परिवादी श्री मनीराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज मैंने किसी मिलने वाले के मार्फत पता करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि आरोपी बनवारी कानिस्टेबल बज्जू से बाहर है। मुझे पता चला है कि बनवारी कानिस्टेबल बालाजी के धाम धोक देने के लिए कहीं बज्जू से बाहर गया हुआ है तथा तीन–चार दिन में वापिस आने की संभावना है। इस कारण अब आज कार्यवाही संभव नहीं है। जैसे ही बनवारी कानिस्टेबल बज्जू में वापस आयेगा या उसका फोन मेरे पास आयेगा तो मैं आपको मोबाइल से सूचना दे दूंगा तथा आरोपी बनवारी को रिश्वत में दी जाने वाली 15,000/– रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करके ले आऊंगा। वक्त 01.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीराम को आरोपी बनवारी के वापस बज्जू में आने पर व आरोपी का फोन आने की स्थिति में तुरंत मन् पुलिस निरीक्षक को सूचना देने के बारे में अवगत करवाया गया तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने के संबंध में विशेष हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया। वक्त 02.00 पी.एम. पर चूंकि आज रोज आरोपी कर्मचारी श्री बनवारी पुलिस कानिस्टेबल के बज्जू से बाहर होने के कारण ट्रेप कार्यवाही हाजा संभव नहीं है। इस कारण प्रकरण की ट्रेप कार्यवाही हेतु बुलाये गये दोनों कर्मचारियों श्री सुनील कुमार सिडाना, प्रशासनिक अधिकारी तथा श्री रमेश कुमार जोईया, प्रशासनिक अधिकारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही हाजा से संबंधित गोपनीय राजकार्य हेतु पुनः जरिये मोबाइल तलब करने तक अपने नियंत्रक कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु हिदायत दी गई। तत्पश्चात् उक्त दोनों कर्मचारियों को ट्रेप कार्यवाही हाजा से संबंधित गोपनीय राजकार्य हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा तलब किये जाने पर कार्यालय हाजा पर अविलंब उपस्थित आने हेतु पृथक से जरिये तहरीर पाबंद कर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

दिनांक 17.09.2023 को वक्त 12.43 पी.एम. को परिवादी श्री मनीराम ने अपने मोबाइल नंबर 99506–37393 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि आज मैं मेरी स्वर्गीय बहन की बैठक उठाने का प्रोग्राम होने व शाम को जागरण होने के कारण मैं परिवार सहित गांव फतुवाला परिवार सहित गाड़ी में जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में ही श्री बनवारी कानिस्टेबल का चलाकर रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मेरे मोबाइल पर किसी अन्य नंबर से फोन आया। तब मैंने साईड में जाकर उससे बात की तथा उसे बताया कि मैं अभी तो फतुवाला जाने के लिए रवाना हो गया हूं तथा कल दिन भर वहां पर व्यस्त रहूंगा, परसों मैं आपसे मिलकर रुपये दे दूंगा। रवाना होने से पहले आप मुझे फोन करते तो मैं आज ही आपको रुपये दे देता। अब श्री बनवारी कानिस्टेबल ने परसों के दिन मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मुझे सहमति दी है। परिवादी ने बताया कि मैंने उक्त कॉल रिकॉर्ड कर ली है, जो आईंदा मैं आपको पेश कर दूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनीराम को परसों दिनांक 19.09.2023 वार मंगलवार को सुबह जल्दी वक्त 09.00 ए.एम. पर आरोपी श्री बनवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि कुल 15,000/– रुपये सहित ब्यूरो कार्यालय बीकानेर पर पहुंचने की हिदायत दी गई। अब तक की गई कार्यवाही के पूर्ण हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये।

दिनांक 18.09.2023 को वक्त 02.27 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से ट्रेप कार्यवाही हाजा हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दोनों सरकारी कर्मचारियों श्री सुनील कुमार सिडाना, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के मोबाइल नंबर 79760–29123 पर तथा श्री रमेश कुमार जोईया, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के मोबाइल नंबर

80055–32807 पर पृथक–पृथक कॉल कर गोपनीय राजकार्य हेतु कल दिनांक 19.09.2023 को वक्त 09.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी गई।

दिनांक 19.09.2023 को वक्त 08.50 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दोनों सरकारी कर्मचारी श्री सुनील कुमार सिडाना, प्रशासनिक अधिकारी तथा श्री रमेश कुमार जोईया, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हें कार्यालय हाजा के कक्ष में बिठाया गया। वक्त 09.15 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीराम उपस्थित कार्यालय आया। कार्यालय पर उपस्थित दोनों सरकारी कर्मचारीगण को ब्यूरो द्वारा आयोजित की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने के बारे में बताया गया। दोनों कर्मचारीगण द्वारा ब्यूरो की उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह मौजूद रहने की सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री मनीराम से का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री मनीराम द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर रिश्वत मांग आदि तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 09.35 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री मनीराम पुत्र श्री कुशलाराम, जाति बिश्नोई, उम्र 60 वर्ष, निवासी गांव माणकासर, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर ने रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी श्री बनवारी कानिस्टेबल पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 30 नोट कुल राशि 15,000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है –

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट	4BD 966416
2.	एक 500 रूपये का नोट	6KA 990073
3.	एक 500 रूपये का नोट	7AQ 844258
4.	एक 500 रूपये का नोट	3SW 107700
5.	एक 500 रूपये का नोट	4CH 851914
6.	एक 500 रूपये का नोट	9VG 595631
7.	एक 500 रूपये का नोट	1AD 725953
8.	एक 500 रूपये का नोट	1AD 725954
9.	एक 500 रूपये का नोट	3LS 540128
10.	एक 500 रूपये का नोट	1DE 848836
11.	एक 500 रूपये का नोट	7KP 193883
12.	एक 500 रूपये का नोट	0AF 004512
13.	एक 500 रूपये का नोट	7BW 434796
14.	एक 500 रूपये का नोट	8BL 392622
15.	एक 500 रूपये का नोट	8GU 218925
16.	एक 500 रूपये का नोट	4ED 544049
17.	एक 500 रूपये का नोट	9LT 026092
18.	एक 500 रूपये का नोट	1AD 704663
19.	एक 500 रूपये का नोट	8ML 759670
20.	एक 500 रूपये का नोट	1AU 581773
21.	एक 500 रूपये का नोट	1AD 725945
22.	एक 500 रूपये का नोट	4DF 432801
23.	एक 500 रूपये का नोट	0AS 834395
24.	एक 500 रूपये का नोट	2CB 529264
25.	एक 500 रूपये का नोट	0KP 831517
26.	एक 500 रूपये का नोट	3FL 523747

27.	एक 500 रूपये का नोट	0GR 592121
28.	एक 500 रूपये का नोट	1GM 333144
29.	एक 500 रूपये का नोट	3FV 047143
30.	एक 500 रूपये का नोट	2AC 017330

तत्पश्चात् कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक, भ्रनिब्यूरो, बीकानेर से फिनोल्फ्थेलिन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कनिष्ठ लिपिक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थेलिन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनीराम की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश कुमार जोईया से लिवाई गयी। परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया व उक्त पाउडर युक्त नोट 15,000/– रूपये परिवादी के पहने हुए कुर्ते की ऊपरी सामने की बांयी जेब में श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवें, लेन–देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुएं, आरोपित से मिलने पर रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान एवं रिश्वत राशि लेन–देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है, उसका ध्यान रखें एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर इशारा करें तथा यदि बाहर आकर इशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिस कॉल/कॉल करके इशारा करें। तत्पश्चात कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थेलिन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्त्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थेलिन पाउडर लगाया गया था, उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रासायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही के संबंध में फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही पृथक के मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक को कार्यालय में ही छोड़ा गया। वक्त 09.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री मनीराम, स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार सिडाना प्रशासनिक अधिकारी व श्री रमेश कुमार जोईया प्रशासनिक अधिकारी, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री नरेंद्र कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम, श्री भगवानदास और श्री मनोहरलाल कानिस्टेबलगण को हमराह लेकर जरिये दो प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री ब्यूरो चौकी बीकानेर से बज्जू के लिए रवाना हुआ। हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। वक्त 11.10 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवानासुदा बज्जू से करीब 01 कि0मी0 पहले किसी गोपनीय स्थान पर पहुंच कर प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा करवाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री मनीराम की मौजूदगी में ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित किया गया। वक्त 11.12 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर परिवादी श्री मनीराम से उसके मोबाइल नंबर 99506–37393 से श्री बनवारी पुलिस कानिस्टेबल के मोबाइल नंबर 85618–21404 पर कॉल करवाया गया तो श्री बनवारी कानिस्टेबल ने परिवादी श्री मनीराम को बज्जू में पंचायत समिति के पास स्थित शिवजी व हनुमानजी के मंदिर के पास बुलाया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान बज्जू के लिए रवाना हुआ। वक्त 11.18 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान बज्जू स्थित पुलिस थाना बज्जू से पूर्व गोपनीय स्थान पर पहुंच कर परिवादी श्री

मनीराम को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जरिये हमराह कानिस्टेबल श्री भगवानदास नंबर 134 चालू करवाकर दिलवाया गया तथा परिवादी श्री मनीराम को आवश्यक हिदायत देकर श्री बनवारी कानिस्टेबल द्वारा बताये गये स्थान पर रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार सिडाना प्रशासनिक अधिकारी व श्री रमेश कुमार जोईया प्रशासनिक अधिकारी तथा हमराही ब्यूरो टीम के साथ परिवादी के पीछे–पीछे तहसील कार्यालय बज्जू के पास वाली गली में पंचायत समिति बज्जू के पास स्थित शिवजी के मंदिर के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय स्थान पर परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में मुकिम रहा। वक्त 11.31 ए.एम. पर परिवादी श्री मनीराम पुत्र श्री कुशलाराम, जाति बिश्नोई, उम्र 60 वर्ष, निवासी गांव माणकासर, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर ने रिश्वत राशि लेन–देन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार मय स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री सुनील कुमार सिडाना, श्री रमेश कुमार जोईया व ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम, श्री भगवानदास, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबलगण के अविलम्ब पंचायत समिति बज्जू के पास स्थित सरकारी क्वार्टर के मैन गेट पर पहुंचा, जहां परिवादी श्री मनीराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री मनीराम से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री मनीराम ने बताया कि साहब ये बनवारी जी का क्वार्टर है, बनवारी जी सामने कमरे में बैठे हैं, जिन्होंने मेरे से अभी अभी रिश्वत राशि 15000/–रूपये अपने बायें हाथ में लेकर अपने पहने लॉवर की सामने की बांयी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी श्री मनीराम को अपने साथ लेकर क्वार्टर में प्रवेश हुआ तो सामने कमरे में एक व्यक्ति सफेद रंग की टी–शर्ट व काले रंग का लॉवर पहने चारपाई पर बैठा मिला। परिवादी ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि साहब ये बनवारीजी है, जिन्होंने मेरे से 15000/–रूपये रिश्वत राशि अपने बांये हाथ में लेकर अपने पहने हुए लॉवर की सामने की बांयी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का पूर्ण परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो अपना नाम बनवारीलाल पुत्र श्री अर्जुनराम, उम्र 30 वर्ष, जाति बिश्नोई, निवासी गांव मोटाई, तहसील बाप, जिला फलौदी, पुलिस थाना चाखू हाल कानिस्टेबल नंबर 1791, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर होना बताया। श्री बनवारीलाल को श्री मनीराम से रिश्वत राशि किस बाबत ली गई के संबंध में पूछने पर श्री बनवारीलाल ने बताया कि साहब ये मनीराम जी मेरे निजी रिश्तेदार हैं तथा रिश्ते में ससुर लगते हैं। इनके विरूद्ध श्री लालूराम सांसी ने हमारे थाना बज्जू में एक लिखित परिवाद दिया था। उक्त परिवाद उच्चाधिकारियों द्वारा जांच हेतु मुझे सुपुर्द किया गया। उक्त परिवाद के सिलसिले में श्री मनीरामजी मेरे पास दिनांक 13.09.2023 को बज्जू थाने में आकर मिले थे। उस दिन मैंने मनीरामजी को कहा था कि आपके विरूद्ध लज्जा भंग व एससी एसटी एक्ट की शिकायत है। उक्त शिकायत में मैंने श्री लालूराम से राजीनामा करवाने व लालूराम को देने के लिए मनीरामजी से 15000/–रूपये मांगे थे। जिस पर मौजूदा परिवादी श्री मनीराम ने स्वतः ही बताया कि साहब ये बनवारीलाल जी झूठ बोल रहे हैं, मेरा श्री लालूराम सांसी से तो पूर्व में ही समझौता हो चुका है। इन्होंने मेरे से मेरे विरूद्ध दर्ज शिकायत बंद करने के लिए साहब के नाम से 20 हजार रूपये की मांग की थी तथा 15000/–रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हुए थे। आज इसी क्रम में मेरे से 15000/–रूपये रिश्वत राशि ली है। श्री बनवारीलाल को श्री मनीराम से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पुनः पूछने पर श्री बनवारीलाल ईधर उधर झांकने लगा तथा बताया कि साहब मैंने किसी साहब के लिए रिश्वत राशि नहीं ली है, मैंने अपने लिए ही परिवाद बंद करने व फाईल तैयार करने के खर्चे पानी के नाम पर मनीरामजी से 15000/–रूपये लिये हैं। मौके पर रिश्वत राशि लेन–देन की ताईद होने पर ट्रेप कार्यवाही हेतु पर्याप्त स्थान नहीं होने से श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल को आरोपित के आवास के बाहर निगरानी हेतु छोड़कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी बनवारीलाल कानिस्टेबल का कलाईयों के ऊपर से बांया हाथ श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल व दाहिना हाथ श्री हरिराम कानिस्टेबल से पकड़वाया जाकर मय हमराहियान व

परिवादी श्री मनीराम के वाहनों सहित इस वक्त पास ही स्थित पुलिस थाना बज्जू पहुंच थानाधिकारी श्री रामकेश से थाने का एक कक्ष खुलवाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्री नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो नये प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री बनवारीलाल के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित किये जाकर सीलचिट किये जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी बनवारीलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री बनवारीलाल को रिश्वत राशि पेश करने के निर्देश देने पर आरोपी श्री बनवारीलाल ने अपने पहने हुए लॉवर की सामने की बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई निकालकर प्रस्तुत की जो गवाह श्री सुनील कुमार सिडाना को दिलवाई जाकर गिनवाई गई तो गवाह ने गिनकर 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/–रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी के अनुसार पाये गये। उपरोक्त नोटों को एक कपड़े के साथ सीलचिट किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपित के पहनने के लिए एक पेंट की व्यवस्था करवाकर आरोपित के पहने हुए लॉवर को उतरवाकर पेंट पहनाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक अन्य नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकालवाया जाकर साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी बनवारीलाल के लॉवर की सामने की बांयी जेब को उल्टवाकर डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त लॉवर बरंग काला की जेब को सूखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त माल वजह सबूत को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी बनवारीलाल कानिस्टेबल से परिवादी श्री मनीराम से संबंधित परिवाद के बारे में पूछने पर बताया कि साहब श्री लालूराम सांसी द्वारा श्री मनीराम जी के विरूद्ध दिया गया परिवाद एच0एम0 कार्यालय में मेरे द्वारा रखा गया है। जिस पर श्री बनवारीलाल कानिस्टेबल को साथ लेकर पुलिस थाना के एच.एम. कार्यालय में पहुंचा, आरोपी बनवारीलाल ने एचएम कार्यालय की अलमारी में रखी एक थैली से श्री लालूराम सांसी द्वारा दिया गया परिवाद निकालकर पेश किया, उक्त परिवाद का अवलोकन किया गया तो पाया कि श्री लालूराम पुत्र श्री बुधाराम, जाति सांसी, निवासी आरडी 860 बांगड़सर तहसील बज्जू, बीकानेर मोबाईल नंबर 7742275938 द्वारा श्रीमान् एस.एच.ओ. साहब पुलिस थाना बज्जू के नाम मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत परिवाद दिनांक 05.09.2023 का दिया गया है, उक्त परिवाद थाना पर सी–174 दिनांक 07.09.2023 को दर्ज हुआ है। आरोपी बनवारीलाल कानिस्टेबल ने पूछने पर बताया कि साहब यह परिवाद श्री बीरबलराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा मुझे जांच हेतु दिया गया है, परिवाद पर उनके द्वारा मार्क किया गया है। उक्त परिवाद पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत हेतु कब्जा एसीबी लिया गया। थाने पर मौजूद श्री रामकेश, उपनिरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना बज्जू से उक्त परिवाद से संबंधित परिवाद रजिस्टर चाहा जाने पर परिवाद रजिस्टर पेश किया, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त परिवाद रजिस्टर वर्ष 2023 के पृष्ठ संख्या 75 पर क्रम संख्या 174 दिनांक 07.09.2023 पर परिवाद का विवरण अंकित है। नाम पता परिवादी के कॉलम में श्री लालूराम पुत्र श्री बुधाराम सांसी, आर डी 860 बांगड़सर 77422–75938, नाम पता अप्रार्थीगण के कॉलम में मुनीराम, परिवाद के सारांश के कॉलम में पानी संबंधी, जांच अधिकारी के कॉलम में श्री बनवारीलाल कानि.

1791 अंकित है। निस्तारण का कॉलम खाली है, जिसमें कोई ब्यौरा अंकित नहीं है। उक्त परिवाद से संबंधित परिवाद रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 75 पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर श्री रामकेश मीणा थानाधिकारी से उक्त पृष्ठ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल कागजात की गई। परिवाद की फोटोप्रति करवाकर प्रमाणित प्रति श्री रामकेश थानाधिकारी, पुलिस थाना बज्जू को सुपुर्द की गई। आरोपी बनवारीलाल कानिस्टेबल द्वारा परिवादी श्री मनीराम से पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर में परिवादी श्री मनीराम के विरूद्ध दर्ज परिवाद में परिवाद को बंद करने व फाईल तैयार करने के खर्चे पानी के नाम पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 13.09.2023 को 20,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000/–रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमति देकर वक्त ट्रेप 15000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा सशोधन 2018 का प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया गया। समय 11:45 ए.एम. पर उक्त कार्यवाही की विस्तृत "फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि" तैयार की जानी प्रारंभ कर पूर्ण की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को जरिये मोबाइल कॉल कर आरोपी के सरकारी क्वार्टर की खाना तलाशी किसी अधिकारी से लिवाने हेतु निवेदन किया गया। वक्त 02.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के वजह सबूतों को सील करने में प्रयुक्त सील की फर्द नमूना सील नंबर 73 तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 02.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बनवारीलाल पुत्र श्री अर्जुनराम, उम्र 30 वर्ष, जाति बिश्नोई, निवासी गांव मोटाई, तहसील बाप, जिला फलौदी, पुलिस थाना चाखू हाल कानिस्टेबल नंबर 1791, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर को उसके उसके करदा जुर्म से आगाह कर वजुहात गिरफ्तारी से अवगत करवाते हुए नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत वजुहात गिरफ्तारी व फर्द गिरफ्तारी श्री बनवारी लाल कानिस्टेबल नंबर 1791, पुलिस थाना बज्जू जिला बीकानेर पृथक् से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 03.07 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तारसुदा आरोपी श्री बनवारीलाल तथा प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत को श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल नंबर 115 मय हमराही जाब्ता की निगरानी में संभलाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनिल कुमार सिडाना व श्री रमेश कुमार जोईया तथा परिवादी श्री मनीराम को जरिये प्राईवेट हमराह लेकर ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल को रवाना हुआ। वक्त 03.20 पी.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल पर पहुंच कर ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल का विस्तृत नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वक्त 04.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता आरोपी श्री बनवारीलाल कानिस्टेबल व परिवादी श्री मनीराम को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में श्री भगवानदास कानिस्टेबल नंबर 134 की सहायता से तैयार की जानी प्रारंभ की गई। वक्त 06.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू मौतबिरान व उपस्थित परिवादी श्री मनीराम की मौजूदगी में ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड श्री भगवानदास कानिस्टेबल की सहायता से लेपटॉप से कनेक्ट किया जाकर परिवादी श्री मनीराम द्वारा आरोपी व्यक्ति श्री बनवारी कानिस्टेबल से जरिये मोबाइल की गई वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन संबंधी रिकॉर्ड की गई वार्ता की ऑडियो फाईल की क्रमशः HASH VALUE चैक करने पर निम्नलिखित HASH VALUE होना पाई गईः–

S No.	File Name	Date & Time of Creation	HASH VALUE (SHA 1)
1	230919_1112	19-09-23 11:12	4c85b3ffa4ef74efd530eb980a89f7802087b4af
2	230919_1118	19-09-23 11:18	9456396963c202ec4fa767d38715092a0423a9c4

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड जरिए मोबाईल वार्ता व वक्त लेन–देन वार्ता की दोनों क्लिप को कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव को पेन ड्राईव के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट् किया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड को वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर कार्ड के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। वक्त 06.30 पी.एम.पर फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नंबर 73 परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 06.55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तारसुदा आरोपी श्री बनवारीलाल मय ट्रेप कार्यवाही में जब्तसुदा वजह सबूत 15,000/– रुपये बरामदा रिश्वती राशि, धोवन की कुल 6 शीशियां मार्क एल–1, मार्क एल–2, मार्क आर–1, मार्क आर–2, मार्क पी–1 व मार्क पी–2 तथा आरोपी के पहने हुए लोअर का सील्ड सुदा पैकेट, वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता व जरिये मोबाइल करवाई गई वार्ता का सील्ड सुदा मूल मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव तथा अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला पेन ड्राईव, मय लेपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री वगैरह लेकर पुलिस थाना बज्जू से आरोपी श्री बनवारीलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु सीएचसी बज्जू को जरिये दो प्राईवेट वाहन रवाना हुआ। वक्त 07.06 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान द्वारा सीएचसी बज्जू पहुंच मुर्तिबा तहरीर जरिये क्रमांक एसपीएल–1 दिनांक 19.09.23 पेश कर आरोपी श्री बनवारीलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। वक्त 07.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तारसुदा आरोपी श्री बनवारीलाल मय ट्रेप कार्यवाही में जब्तसुदा वजह सबूत उपरोक्त लेकर जरिये प्राईवेट वाहन व चालक रवाना ब्यूरो चौकी बीकानेर हुआ। वक्त 09.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तारसुदा आरोपी श्री बनवारीलाल के ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचा तथा ट्रेप कार्यवाही में जब्तसुदा वजह सबूत 15,000/– रुपये बरामदा रिश्वती राशि, धोवन की कुल 6 शीशियां मार्क एल–1, मार्क एल–2, मार्क आर–1, मार्क आर–2, मार्क पी–1 व मार्क पी–2 तथा आरोपी के पहने हुए लोअर का सील्ड सुदा पैकेट, वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता व जरिये मोबाइल करवाई गई वार्ता का सील्ड सुदा मूल मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव तथा अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला पेन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। वक्त 09.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मुर्तिबा तहरीर जरिये क्रमांक– एसपीएल 2 दिनांक 19.09.2023 देकर श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115 तथा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 को आरोपी श्री बनवारीलाल को पुलिस थाना सदर की हवालात में जमा करवाये जाने हेतु मय आरोपी जरिये निजी वाहन रवाना किया गया। वक्त 09.35 पी.एम. पर श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नंबर 115 तथा श्री रतनसिंह कानिस्टेबल नंबर 151 आरोपी श्री बनवारीलाल को पुलिस थाना सदर की हवालात में जमा करवाकर उपस्थित कार्यालय आये। ट्रेप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार सिडाना प्रशासनिक अधिकारी, श्री रमेश कुमार जोईया प्रशासनिक अधिकारी तथा परिवादी श्री मनीराम को ट्रेप कार्यवाही संपन्न होने के बाद कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मनीराम पुत्र श्री कुशलाराम, जाति बिश्नोई, उम्र 60 वर्ष, निवासी गांव माणकासर, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर के विरूद्ध पुलिस थाना बज्जू में उसके काश्तकार श्री लालूराम सांसी द्वारा परिवाद पेश करने के बाद परिवादी श्री मनीराम व श्री लालूराम के मध्य राजीनामा होने के बावजूद श्री बनवारीलाल कानिस्टेबल द्वारा उक्त परिवाद को बंद करने, परिवाद की फाईल तैयार करने के खर्चा–पानी के नाम पर 20,000/– रुपये रिश्वत मांगने पर परिवादी श्री मनीराम द्वारा ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में उक्त आशय के संबंध में दिनांक 13.09.2023 को शिकायत पेश की गई। जिस पर दिनांक 13.09.2023 को ब्यूरो द्वारा करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी श्री बनवारीलाल कानिस्टेबल नंबर 1791, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री मनीराम से पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर में परिवादी श्री मनीराम के विरूद्ध दर्ज परिवाद में उक्त परिवाद को बंद करने व फाईल तैयार करने के खर्चे पानी के नाम पर 20,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15000/–रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमति देने पर रिश्वत

मांग की स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई। जिस पर दिनांक 19.09.2023 को ब्यूरो द्वारा ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। जिसमें आरोपी श्री बनवारीलाल द्वारा परिवादी श्री मनीराम से वक्त ट्रेप 15000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर पहनी हुई लोअर की सामने की बांयी जेब में रखी गई, जो रूबरू स्वंतत्र गवाहान बरामद की गई। आरोपी श्री बनवारीलाल के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ तथा आरोपी बनवारीलाल के पहनी हुई लॉवर की सामने की बांयी जेब को उल्टवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे कब्जा एसीबी लिया गया है। परिवादी श्री मनीराम के विरूद्ध पुलिस थाना बज्जू में दी गई शिकायत से संबंधित दस्तावेज आरोपी श्री बनवारीलाल कानिस्टेबल के कब्जे से बरामद हुआ है। इस प्रकार आरोपी श्री बनवारीलाल कानिस्टेबल द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न तथा राजकीय शुल्क से भिन्न परिवादी श्री मनीराम से 15,000 रुपये बतौर रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री बनवारीलाल पुत्र श्री अर्जुनराम, उम्र 30 वर्ष, जाति बिश्नोई, निवासी गांव मोटाई, तहसील बाप, जिला फलौदी, पुलिस थाना चाखू हाल कानिस्टेबल नंबर 1791, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर को कार्यालय भ्रनिब्यूरो, बीकानेर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

श्रवण कुमार
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चौकी बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री अर्जुन राम, निवासी गांव मोटाई, तहसील बाप, जिला फलौदी पुलिस थाना, चाखू हाल कानि0 नं0 1791 पुलिस थाना बज्जू जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 254/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

20.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2822-25 दिनांक: 20.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

20.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।